तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.1.21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया एवं पैरोकार सरकार उपस्थित. पैरोकार सरकार ने एक पटवारी पटवार हल्का भादू द्वारा जवाब/मौका पर्चा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षों ने बहस करनी चाही, उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 19.2.21 को पेश हो।	
19.2.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थिया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, पैरोकार सरकार के जवाब व पटवारी पटवार हल्का भादू की मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया विवादित आराजियात ग्राम भादू पटवार हल्का भादू तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थिया के पुत्रो गोपाललाल एवं दिनेशकुमार के साथ देऊ के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी की नकल संवत 2073-2076 से होती है. प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थिया देऊ के बजाय दुर्गा देवी नाम अंकित करवाना चाहती है। जिसकी ताईद प्रस्तुत आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, जनआधार कार्ड, की फोटो प्रतियां एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र आदि से होती है। उसी के अनुसार प्रार्थिया अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहती है. ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने मे सफल रही है इस कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं. अत: :: आदेश :: प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मादू पटवार हल्का मादू तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 106, 107. एवं 123 की भूमि के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज गोपाल लाल, दिनेशकुमार पिता पन्नालाल ब्राहाण के साथ मु॰ देऊ बेवा पन्नालाल ब्राहाण के बजाय दुर्गा देवी बेवा पन्नालाल शर्मा (ब्राहाण) अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है. उसी अनुसार प्रार्थिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अंकित करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:30 IST
Reason: SelfAttested